भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1564
जिसका उत्तर बुधवार, 28 जुलाई, 2021 को दिया जाना है

वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली

1564. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) सरकार का पारंपरिक न्यायालय प्रणाली के बजाय वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली को बढ़ावा देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) विगत छह वर्षों के दौरान वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली के आदेशों को निष्पादित करना बहुत कठिन है ;

(ङ) यदि हां, तो विभिन्न वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली द्वारा पारित आदेशों के निष्पादन के लिए क्या कार्रवाई की गई है ;

(च) क्या वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली में कानूनी ज्ञान और कानूनी शिक्षा के अभाव वाले व्यक्तियों को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है ; और

(छ) यदि हां, तो वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली में कानूनी पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : जी, हां । सरकार, पारम्परिक न्याय प्रणाली को अनुपूरित करने के लिए अनुकल्पी विवाद समाधान प्रणाली को प्रोत्साहित कर रही है ।

(ख) : भारत में अनुकल्पी विवाद समाधान प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए, देशी माध्यस्थम्, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् और विदेशी माध्यस्थम् पंचाटों के प्रवर्तन से संबंधित विधि का समेकन करने के लिए और सुलह से संबंधित विधि को परिभाषित करने तथा उनसे संबंधित विषयों के लिए भी माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 अधिनियमित किया गया था । माध्यस्थम् प्रक्रिया में और सुधार करने के लिए उपरोक्त अधिनियम का वर्ष 2015, वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में तीन बार संशोधन किया गया है । एनडीआईएसी अधिनियम, 2019, नई दिल्ली अंर्तराष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र की स्थापना करने के लिए भी अधिनियमित किया गया है ।

भारत सरकार, अनुकल्पी विवाद समाधान प्रणाली को प्रोत्साहन दे रही है, क्योंकि यह समयबद्ध, सरलतर, अधिक सुविधाजनक और पारम्परिक न्याय प्रणाली की तुलना में कम खर्चीली है ।

(ग) : माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में किए गए संशोधनों के अनुसार, माध्यस्थम् प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए त्वरित समय-सीमाओं का उपबंध किया गया है, अपील

प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया गया है, माध्यस्थम् विवादों के त्वरित निपटान के लिए उपबंध किए गए हैं और यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रक्रिया बहुत खर्चीली न बने ।

सरकार ने, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 भी अधिनियमित किया है, जो, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की, इसे देशी और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् के लिए अधिमानित स्थान बनाने की दृष्टि से, राष्ट्रीय महत्व के केंद्र के रूप में, स्थापना का उपबंध करता है ।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का भी, पूर्व संस्था मध्यकता और समझौता (पीआईएमएस) तंत्र के माध्यम से विवादों का समाधान करने का उपबंध करने के लिए वर्ष 2018 में संशोधन किया गया है । वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12क के अनुसार, पूर्व संस्था मध्यकता और समझौता (पीआईएमएस) तंत्र के माध्यम से हुए समझौता करार की वैसी ही प्रास्थिति और प्रभाव होगा, मानो यह माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन तय पाए गए निबंधनों पर एक माध्यस्थम् पंचाट हो ।

(घ) से (ङ) : माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996, की धारा 36(1) माध्यस्थम् पंचाट के प्रवर्तन के लिए वहां उपबंध करती है, जहां धारा 34 के अधीन माध्यस्थम् पंचाट को अपास्त करने के लिए आवेदन करने के लिए समय समाप्त हो गया है । तत्पश्चात्, पंचाट सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के अनुसार वैसे ही रीति में प्रवृत्त होगा, मानो वह न्यायालय की डिक्री हो । इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 34(6) यह उपबंध करती है कि पंचाट को अपास्थ करने के लिए

आवेदन का शीघ्र और किसी भी दशा में, उस तारीख से, जिसको धारा 34(5) के अधीन पंचाट को अपास्त करने के लिए आवेदन फाइल किए जाने की सूचना अन्य पक्षकार को जारी की जाती है, एक वर्ष की अवधि के भीतर निपटान किया जाएगा ।

इसके अतिरिक्त, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 74 यह उपबंध करती है कि सुलह की प्रक्रिया के माध्यम से किए गए समझौता करार की वैसी ही प्रास्थिति और प्रभाव होगा, मानो वह धारा 30 के अधीन माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा दिए गए विवाद के सार के संबंध में तय पाए गए निबंधनों पर माध्यस्थम् पंचाट हो ।

(च) से (छ) : अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र यह विहित नहीं करते हैं कि विधिक ज्ञान और विधिक शिक्षा विहीन व्यक्तियों को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है । ये अनौपचारिक प्रक्रियाएं हैं और पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति पक्षकार स्वायत्ता के सिद्धांत के अनुसार की जाती है ।

****